प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक

एस0 जे0 पब्लिक स्कूल सैक्टर-15, वसुन्धरा,
गाजियाबाद

पत्रांक : आशु0 / 2444-45/2011-12 दिनांक 07/08/2011

विषय : प्राईमरी स्तर की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र पर शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र.........गाजियाबाद.......... एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा की गई संस्तुति पर दिनाँक (29-06-2010) में जिला मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी की स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना कक्षा 6 से 8 तक की कक्षायें कदापि संचालित न की जायें।
2. विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाये। अस्वीकृत पुस्तकें प्रयोग न की जाये।
3. निर्धारित शुल्क से ज्यादा कदापि न लिया जाये।
4. मान्यता विषय पत्रों में दी गयी सूचना गलत पाये जाने तथा विभागीय आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन न होने पर स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
5. कार्यरत अध्यापकों / कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्ते निश्चित रुप से बैंक माध्यम से किये जायें। अर्ह अध्यापकों को उनके पद पर स्थायी किया जाय तथा उन्हें प्राविधायी योजना की सुविधा दी जाय।
6. ग्राउण्ड डेस्कों की व्यवस्था की जाये।
7. विद्यालय में अग्निरोधक यन्त्र लगायें।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0 – आशु0/ / तद् दिनाँक

1. प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र........................गाजियाबाद सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद, जनपद–गाजियाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता/5705-5706/2025–26 दिनांक 30/8/2025

प्रबन्धक,
एस0जी0पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,
सैक्टर–15 बसुन्धरा गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 26–08–2025 द्वारा विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ के पत्रांक मान्यता/5447–52/1999–2000 दिनांक 10–02–2000 द्वारा विद्यालय को कक्षा–06 से कक्षा–08 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

विद्यालय द्वारा मान्यता आदेश में दी गयी शर्तो को पूरा करने के सम्बन्ध में सम्बाधेत खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 30–08–2025 के आधार पर तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया हैं कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी हैं। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तो के मानकों को बनाये रखना होगा। अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओम प्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0–मान्यता/ /2025–26 तददिनांक

प्रतिनिपि–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner